

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल— व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दुखहरन सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह निः 0 रामपुर पूरे डाढ़ू थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—238 / 21, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामशंकर पुत्र रामलाल निः 0 ग्राम खटकहिया अमवा थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—205 / 21, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.07.2021

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने मु0अ0स0—317/2019 धारा 419,420,467,468,471,504 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो० हनीफ को मुखबिर खास की सूचना पर सम्मय माता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी विजय पाल पुत्र तुलसीराम नि० धरमपुर मनकापुर जनपद गोण्डा से वीजा बनवाने के नाम पर पैसे की धोखाधड़ी की थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मोहम्मद हनीफ पुत्र स्वर्गीय नजर मोहम्मद निवासी धर्मपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0—317/2019 धारा 419,420,467,468,471,504 भादवि थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० राकेश कुमार ओझा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.07.2021

**चोरी के माल के साथ शातिर चोर गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमंचा
भी बरामद—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों/चोरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को 0 नगर पुलिस ने मु0अ0सं0-421/21, धारा—457,380 भादवि से सम्बन्धित 02 चोरों—01. अरशद, 02. अरमान अहमद को मुखबिर खास की सूचना पर बारगी बाग के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया समान व 01 अदद अवैध तमंचा बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 04.05.2021 की रात्रि थाना को 0 नगर क्षेत्र के अन्तर्गत जेल रोड स्थित एक मकान में चोरी की थी। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अरशद पुत्र सलीम निरो सिविल लाइन थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा।
02. अरमान अहमद पुत्र जब्बीर अहमद निरो सकरौरा पूर्वी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-421/21, धारा 457,380,411 भादवि थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-547/21, धारा 3/25 आमर्स एकट थाना को 0 नगर जनपद गोण्डा। बनाम—(अरशद पुत्र सलीम)

बरामदगी—

01. 04 अदद पायल सफेद धातु।
02. 04 अदद सिक्के सफेद धातु।
03. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उनिरो चन्द्रप्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.05.2021

चोरी की योजना बनाते समय 04 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी करने के उपकरण व असलहा कारतूस बरामदः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरो/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कडे निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोरी की योजना बनाते समय 04 नफर अभियुक्तों को गौसिया मस्जिद के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे चोरी करने के उपकरण, अभियुक्त अब्दुल कादिर उर्फ पप्पू के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त निककी उर्फ शकील के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अब्दुल कादिर उर्फ पप्पू पुत्र स्व० जाकिर अली नि० मुन्नन खॉ चौराहा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. निककी उर्फ शकील पुत्र स्व० मो० जमील नि० मुन्नन खॉ चौराहा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. सूरज कनौजिया पुत्र स्व० झाबली नि० बनौगा अटरिया जनपद सीतापुर।
04. संतोष मिश्रा पुत्र रामकरन मिश्रा नि० ठाकुरदीन पुरवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-५४८/२१, धारा 401 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-५४९/२१, धारा ३/२५ आम्स॑ एकट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-५५०/२१, धारा ४/२५ आम्स॑ एकट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।
03. 01 टार्च, 01 अदद लोहे की सबरी, 01 अदद चाभी का गुच्छा आदि।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.07.2021

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने की आरोपी अभियुक्ता गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस ने मु०अ०सं०-२८०/२१, धारा— ३०६ भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता—नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्ता ने वादी श्री हरिशंकर यादव के लड़के को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी के लड़के ने प्रताङ्कना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। अभियुक्ता को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता—

01. नेहा पुत्री तुलसीराम यादव नि० सिसई जंगल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-२८०/२१, धारा— ३०६ भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० कामेश्वर राय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.07.2021

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफतार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफतारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने मु0अ0सं0–150/21, धारा 363. 366 भादवि व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एकट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वेद प्रकाश शुक्ला को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफतार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मोतीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफतार अभियुक्त—

01. वेद प्रकाश शुक्ला पुत्र ननकऊ शुक्ला नि0 ग्राम इंदरापुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0–150/21, धारा 363.366 भादवि व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एकट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफतार कर्ता टीम—

थानाध्यक्ष ब्रह्मनंद सिंह मय टीम।